



## झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम, राँची-834010

### राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

#### विज्ञापित संख्या - 74/2011

मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 1713 दिनांक 5.7.2011 एवं संकल्प संख्या 1470 दिनांक 29.5.2011 के आलोक में राज्य के +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार, कोटिवार एवं विषयवार अधिवाचित निम्नांकित पदों के विरुद्ध निम्नांकित योग्यता एवं अर्हता धारक अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2011 तक आमंत्रित किये जाते हैं-

क्रम संख्या	विषय	कुल रिक्त पद	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग
01	हिन्दी	230	115	23	60	18	14
02	अंग्रेजी	230	115	23	60	18	14
03	संस्कृत	230	115	23	60	18	14
04	अर्थशास्त्र	230	115	23	60	18	14
05	भूगोल	230	115	23	60	18	14
06	जीव विज्ञान	230	115	23	60	18	14
07	गणित	230	115	23	60	18	14
08	वाणिज्य	230	115	23	60	18	14

उक्त चिह्नित रिक्तियों में से 50% पद झारखण्ड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों, जिन्हें नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता प्राप्त है, से तथा 50% पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

#### (क) बांछित अर्हता एवं योग्यता :-

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।
- मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी.एड. के समकक्ष घोषित डिग्री। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

(iii) **आयु सीमा:-** 01.01.2011 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार उम्र निम्न रूपेण होगी-

	विकलांग हेतु
1. सामान्य कोटि	40 वर्ष
2. महिला(अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष
4. अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष
5. अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष

#### (ख) राज्य के +2 विद्यालयों में उपर्युक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का चयन जाँच परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी-

- प्रश्न पत्र (1) - सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा - 100 अंक
  - प्रश्न पत्र (2) - जिस विषय में नियुक्ति होनी है, की परीक्षा - 300 अंक
- उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र- 1 एवं प्रश्न पत्र-2 की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

(ग) **सम्बर्ण:-** +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का सम्बर्ण राज्य स्तरीय होगा तथा इनकी नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे।

(घ) **वेतनमान-** नियुक्ति होनेवाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित को वेतनमान 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/- रुपये देय होगा।

(ङ) **परीक्षा शुल्क-** अभ्यर्थियों को 750/- रुपये परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये यह राशि 375/- रुपये की होगी। सभी अभ्यर्थी ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे।

झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य सम्बर्णय संवर्ग के लिये लागू राज्य स्तरीय आरक्षणनियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में तदनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विकलांगों हेतु अपनी ही कोटि में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में शैतिज आरक्षण लागू होगा।

#### (च) सामान्य निर्देश:-

- कोई भी अभ्यर्थी किसी एक ही विषय की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी जिस विषय के विरुद्ध आवेदन करेंगे, वही उनका अंतिम विकल्प

होगा तथा उससे हटकर कोई दूसरे विषय की रिक्ति के विरुद्ध दावा नहीं कर सकेंगे। भले ही दूसरे विषय में चयनित अभ्यर्थी उनसे कम अंक प्राप्त किए हों।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में A-4 Size पेपर से निम्न पते पर भेजा जायेगा- **सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम, राँची-834010**

(iii) आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन निर्धारित तिथि तक परिषद् कार्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा। स्पीड पोस्ट के अलावे अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं Demand Draft की छायाप्रति अपने पास रखेंगे।

(iv) आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो "Jharkhand Academic Council Fund" को देय एवं राँची में भुगतेंय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(v) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र आदि स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जायेंगे, उस लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से विज्ञापित संख्या के साथ-साथ जिस विषय के शिक्षक के लिए नियुक्ति चाहते हैं, उस विषय का अंकन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।

(vi) अपूर्ण, गलत कोड भरने और गलत सूचना देने एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा और शुल्क की राशि जब्त कर ली जायेगी।

(vii) **आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा-**

(1) **शैक्षिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर की डिग्री एवं अंक पत्रक)**

(2) **प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र (बी.एड.)**

(3) झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र (जहाँ प्रयोज्य हो)

(4) उम्र संबंधी प्रमाण पत्र

(5) झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु दावे करनेवाले उम्मीदवारों के लिये)

(viii) अभ्यर्थी जिस विषय की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करेंगे वे आवेदन में उस विषय का कोड भरेंगे-

क्रम सं.	विषय	कोड संख्या
1	हिन्दी	01
2	अंग्रेजी	02
3	संस्कृत	03
4	अर्थशास्त्र	04
5	भूगोल	05
6	जीव विज्ञान	06
7	गणित	07
8	वाणिज्य	08

(ix) आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का कोड भरेंगे। आरक्षण कोटि का कोड निम्नवत् विहित है -

कोटि	कोड
सामान्य	11
अनुसूचित जाति	12
अनुसूचित जनजाति	13
पिछड़ा वर्ग	14
अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग	15

(x) अभ्यर्थी जिस प्रमण्डल में परीक्षा देना चाहते हैं, उस प्रमण्डल के लिये विहित निम्नांकित परीक्षा केन्द्र का कोड आवेदन पत्र में भरेंगे -

क्रम सं.	परीक्षा केन्द्र	कोड संख्या
1	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	21
2	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	22
3	कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	23
4	पलामू प्रमण्डल, पलामू	24
5	संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	25

(xi) आवेदक विज्ञापित को पूरी सावधानी से पढ़कर ही आवेदन पत्र भरेंगे। प्रस्तुत विज्ञापित एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र (Format) परिषद् के वेबसाइट [www.jac.nic.in](http://www.jac.nic.in) पर उपलब्ध है। सभी आवेदक परिषद् के उक्त वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउन लोड कर A4 Size पेपर में उसका प्रिंट प्राप्त कर उसी में ही भरेंगे।

**नोट: विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है। फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।**

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/+2वि.भ.नि./10164/11JAC/  
SEY/373 Dt. 22.07.2011  
D.O.P. 23.07.2011